न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोठीमहल जिला उज्जैन

क्रमांक :– 478 /रीडर/2020 उज्जैन,दिनांक :– 28 /12/2020

प्रकरण क्र. :–

विज्ञप्ति

आवेदक संस्था/ विभाग जिसका नाम आदिम जाति कल्याण विभाग उज्जैन है के द्वारा ग्राम/कस्बा नानाखेड़ा तहसील व जिला उज्जैन की भूमि सर्वे क्रमांक 49 मे से रकबा 80X120=9600 वर्गमीटर कुल किता 01 कुल रकबा 9600 वर्गमीटर को 50X50 सीटर 02 बालक छात्रावास हेतु आवंटित /हस्तांतरित करने की मांग की है। इस हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदित भूमि का खसरा एवं नक्षा भी प्रस्तुत किया है।

आवेदक संस्था/विभाग को उक्तानुसार भूमि आवंटन / हस्तांतरित करने में जिस किसी व्यक्ति/ सस्था/विभाग को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति समस्त आवश्यक दस्तावेजो सहित लिखित में आगामी दिनांक 05-1-21 तक स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त निश्चित की गई समयाधि के पष्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जावेगा।

मेरे न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 28-12-20 को जारी की गई।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग कोठी महल उज्जैन
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
अनुभाग कोठी महल जिला उज्जैन

प्रतिलिपि :–

1 कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
3 कार्यालय आयुक्त नगर निगम उज्जैन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
4 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा. उज्जैन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
5 तहसील कार्यालय उज्जैन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
6 ग्राम पंचायत................................./मुख्य चौपाल ग्राम.....................................पर चस्पा हेतु ।
7 आवेदक संस्था आदिम जाति कल्याण विभाग उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाषन करा कर समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत हेतु ।
8. एन.आई.सी. को ऑफिशियल वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग कोठी महल उज्जैन
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
अनुभाग कोठी महल जिला उज्जैन